न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

सोशल मीडिया और सुरक्षा

इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग ने सोशल नेटवर्किंग को सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन गतिविधियों में से एक बना दिया है। सोशल मीडिया दुनिया भर में किसी के साथ जानकारी, तस्वीरें या वीडियो साझा करने व संवाद करने में सक्षम बनाता है। Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin, WhatsApp, Snapchat, Tinder, Hike, WeChat, Tumblr आदि लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं।

दुनिया भर में सोशल मीडिया का उपयोग दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। सोशल मीडिया/सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स् के उपयोग में जबर्दस्त वृद्धि ने साइबर अपराधियों को अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का एक और उपयुक्त तरीका प्रदान किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय अपनी और अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए हमें निम्न महत्त्वपूर्ण उपायों को अपनाना चाहिए–

- सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करनी चाहिए।
- जब तक आप ऑनलाइन यूजर्स् को भली प्रकार से नहीं जानते तब तक उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे– पता, फ़ोन नंबर, जन्म तिथि आदि सोशल मीडिया पर साझा नहीं करनी चाहिए।
- अपनी व्यक्तिगत तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा नहीं करना चाहिए।
- केवल अपने परिवारजनों, विश्वसनीय मित्रों के साथ ही अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा करने चाहिए।
- यदि आपकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके कोई फेक अकाउंट बनाया गया है तो सोशल मीडिया सेवा प्रदाता को तुरंत सूचित करें।

- सोशल मीडिया अकाउंट के लिए विशेष वर्णों/अक्षरों (Small letter, Capital letter and Special characters) का उपयोग करते हुए, कठिन पासवर्ड बनाना चाहिएं एवं पासवर्ड को गोपनीय रखना चाहिए।
- सोशल नेटवर्किंग साइट्स को अपने दोस्तों की तलाश के लिए, अपने ईमेल खाते को स्कैन करने और अपनी सहमति के बिना उन्हें स्पैम (spam) मेल भेजने की अनुमति न दें।
- जब तक आवश्यक न हो, सोशल मीडिया डिवाइस पर लोकेशन सेवाओं को हमेशा बंद रखना चाहिए।
- सोशल मीडिया पर अपनी छुट्टियों, यात्रा योजनाओं आदि की घोषणा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा साइबर अपराधी इसका दुरूपयोग कर सकते हैं।
- जब आप किसी के साथ ऑनलाइन चैट करते हैं और चैट पार्टनर पर संदेह हो रहा है तो उससे, संदर्भ से हटकर कुछ वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रश्न पूछें। यदि वह उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, तो समझ जाइए कि आप एक स्वःचालित कम्प्यूटर बॉट के साथ चैट कर रहे हैं।

- सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का उपयोग करने के लिए सार्वजनिक कम्प्यूटर / साइबर कैफे का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- यदि कोई सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अपमानजनक सामग्री पोस्ट कर रहा है, तो अविलम्ब रिपोर्ट करने में संकोच नहीं करना चाहिए ।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स् पर अप्रमाणित पोस्ट /समाचारों को साझा या अग्रेषित न करें। ये फेक हो सकते हैं या इनमें संवेदनशील जानकारी हो सकती है, जो लोगों को गुमराह कर सकती हैं।

भारत सरकार ने साइबर क्राइम से पीड़ित/शिकायतकर्त्ता के लिए सभी प्रकार की साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज करने हेतु ऑनलाइन सुविधा www.cybercrime.gov.in उपलब्ध कराई है। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस प्रशासन द्वारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायतों का निपटारा किया जाता है।

साइबर अपराध या आपातकाल के मामले में कृपया 100 नंबर डायल करके स्थानीय पुलिस से संपर्क करें।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें–

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर
हेल्पलाईन नम्बर–9928900900, 15100

हेल्पलाइन नम्बर

अजमेर : 8306002101	अलवर : 8306002102
बालोतरा : 8306002103	बांसवाड़ा : 8306002104
बारां : 8306002105	भरतपुर : 8306002106
भीलवाड़ा : 8306002107	बीकानेर : 8306002108
बूंदी : 8306002109	चूरू : 8306002110
चित्तौड़गढ़ : 8306002112	दौसा : 8306002114
धौलपुर : 8306002115	डूंगरपुर : 8306002116
हनुमानगढ़ : 8306002118	जयपुर मेट्रो I : 8306002119
जयपुर मेट्रो II : 8306008220	जयपुर जिला : 8306002120
जैसलमेर : 8306002123	जालोर : 8306002126
झालावाड़ : 8306002127	झुंझुनूं : 8306002128
जोधपुर मेट्रो : 8306002021	जोधपुर जिला : 8306002129
करौली : 8306002130	कोटा : 8306002131
मेड़ता सिटी : 8306002132	पाली : 8306002166
प्रतापगढ़ : 8306002134	राजसमंद : 8306002135
सवाई माधोपुर : 8306002136	सीकर : 8306002137
सिरोही : 8306002138	श्री गंगानगर : 8306002117
टोंक : 8306002139	उदयपुर : 8306002022

rslsa.rajasthan | @LeglAidRajsthan | legalaidrajasthan